(2) अक्तूबर, 1990 में आवास मंत्रियों का सम्मेलन।

(3) मार्च, 1992 में मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस।

(4) समय-समय पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रणा।

(5) राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मंत्रणा जिसमें मूलतः केन्द्रीय नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का संकल्प लिया गया। बैठक अगस्त, 1992 में हुई।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित किया जाना

214. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों और विभागों के कार्य-भार को कम करने तथा आम जनता की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों के अधीन सरकारी विभागों और कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां इन विभागों/कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाएगा और इन्हें कब तक स्थानांतरित किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या दिल्ली में कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों को उन राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहां कार्यालयों को स्थानांतरित किया गया होगा और इस स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप सरकार की प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की बचत होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। दिल्ली में बढ़ती हुई भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार के कई कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) हरियाणा और उत्तर-प्रदेश राज्यों में समीपस्थ नगरों में स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (**नीचे देखिए**)। चूंकि, वास्तविक स्थानान्तरण भूमि के चयन/आबटन, भूमि की लागत, भवनों के निर्माण/किराए पर लेने, आदि, जैसे बहुत से निर्धारक पहलुओं पर निर्भर करता है, अतः ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है जिसके भीतर स्थानान्तरण किया जा सके।

(घ) स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वास्तविक स्थानान्तरण सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग का प्रशासनिक मामला है। तथापि, यह माना जाता है कि इन कार्यालयों के स्थानान्तरित हो जाने पर उनमें कार्यरत कार्मिक भी दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित हो जाएंगे।

उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में वर्णित स्थिति को देखते हुए, स्थानान्तरण की वजह से बचत, यदि कोई हो, की मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किए जाने वाले केन्द्र सरकार के प्रस्तावित कार्यालयों के ब्यौरे

क्रमांक	कार्यालय का नाम	जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	तट रक्षक मुख्यालय	नोएडा (पूर्व में गाजियाबाद में)
2	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र डाक विभाग	गाजियाबाद
3	निरीक्षण निदेशालय, उत्तरी निरीक्षण सर्किल, पूर्ति विभाग	गाजियाबाद
4	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय	कोई भी डी०एम०ए० नगर
5	लाइट हाउसिस तथा लाइट शिप्स् विभाग	नोएडा
6	केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रम मंत्रालय	नोएडा
7	भुगातन आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग	कोई उपयुक्त स्थान जैसे गुड़गांव
8	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद
9	के०लो०नि०वि० प्रशिक्षण संस्थान	गाजियाबाद
10	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पादकशुल्क तथा नारकोटिक्स अकादमी	फरीदाबाद
11	अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं सहकारिता विभाग	नोएडा
12	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	नोएडा

Constitution of Water and Sewerage Disposal Board

215. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an autonomous Water and Sewtrage Disposal Board is proposed to be constituted for the National Capital Territory of Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The Government has taken a decision to set up an autonomous Water Supply and Sewerage Board for the National Capital Territory of Delhi. Accordingly ,a Draft Bill has been prepared.

Demolition of Unauthorisedly Constructed Sainik Farms in Delhi

216. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has decided to declare Sainik Farms in the capital a development area and also to empower DDA to demolish all unauthorised constructions therein ;

(b) if so. the details of the Sainik farms unauthorisedly constructed in the capital : and

(c) by when all such anauthorised constructions in Sainik Farms are likely to be demolished '.'